पत्रकारों की अवैध गिरफ्तारी पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी, कमिश्नर पुलिस सहित कई पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना कर पत्रकारों की गिरफ्तारी करना महंगा पड़ा पुलिस अधिकारियों को

चंडीगढ़ । फरीदाबाद के तीन वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी बी एस संधू, हिसार रेंज के आईजी अमिताभ सिंह ढिल्लों एवं एसपी विजिलेंस सुखबीर सिंह पहलवान, सहित कई पुलिस अधिकारियों को मंहगा पड़ गया। ग़ौरतलब है कि पिछले वर्ष 16 अप्रैल को फ़रीदाबाद पुलिस ने जिले के तीन पत्रकारों द्वारा एक विधायक एवं नेत्री की खबर छापने पर मुक़दमा दर्ज कर उन्हें अवैध तरीक़े से गिरफ़्तार किया था। इस मामले में पीड़ित तीनो पत्रकार हाई कोर्ट की शरण में गए थे। पीड़ित पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उपरोक्त संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।

हाईकोर्ट की माननीय न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस. बरार, पवन सांखला एवं ललित सांखला ने पेश होकर उक्त मामले में तीनों पत्रकारों का पक्ष रखा। उक्त याचिका

पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि एक समाचार प्रसारित करने पर गैर-कानूनी तरीके से फरीदाबाद पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा, संजय कपूर एवं नवीन गुप्ता के खिलाफ आईटी एक्ट 67ए, 354डी एवं 499 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि तीनों पत्रकारों द्वारा प्रकाशित खबरों में किसी व्यक्ति, महिला एवं राजनैतिक दल का नाम तक नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने बिना किसी जांच के ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें अनैतिक तौर से हिमाचल प्रदेश के ऊना से उस समय गिरफ्तार किया, जब ये तीनों पत्रकार धार्मिक स्थल पर जा रहे थे।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी बी.एस. संधू , फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लो (वर्तमान आई.जी. हिसार), तत्कालीन डीसीपी क्राईम सुखबीर सिंह पहलवान (मौजूदा एसपी विजिलेंस गुरूग्राम),फरीदाबाद के तत्कालीन क्राईम ब्रांच सैक्टर 30 प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप मोर सहित गिरफ्तारी टीम में शामिल रहे सब-इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, एएसआई अनूप तथा हवलदार राजीव नामक पुलिस कर्मचारियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से 23 मई, 2019 तक जवाब मांगा है कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की कार्रवाई की जाए।

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल, 2018 को उपरोक्त पत्रकारों ने अपने-अपने ऑनलाईन वेब न्यूज पोर्टल पर एक विधायक व एक नेत्री के मामले को लेकर खबर प्रसारित की थी। इनके न्यूज पोर्टल में उक्त खबर प्रसारित होने से पहले यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और शहर भर में खासी चर्चा का विषय बना हुआ था। वेब पोर्टल में यह खबर प्रसारित होने के बाद एक महिला नेत्री की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस ने राजनैतिक दबाव में 16 अप्रैल, 2018 को तीनों पत्रकारों के खिलाफ बिना किसी जांच के मुकदमा दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना करते हुए गिरफ़्तारी की कार्रवाई की।

पत्रकारों के खिलाफ़ की गयी इस करवाई को लेकर प्रदेश के तमाम पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए धरने प्रदर्शन भी किए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को माँग पत्र देकर मामला रद्द करवाने की माँग भी की थी ।

इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पत्रकार नवीन धमीजा के पिता जी इस घटना से इतने आहत हुए कि वह इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और सदमे के कारण स्वर्ग सिधार गए। उनका परिवार इस मृत्यु के लिए भी सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है।

संबंधित मुकदमा पृथला से विधायक टेकचंद शर्मा की एक महिला मित्र की शिकायत पर आईपीसी की धारा 499, 523 व आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उपरोक्त पत्रकारों ने अपनी खबर से महिला मित्र को बदनाम किया है। साधारणत: इस तरह के असंज्ञेय अपराध में पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती, यदि कर भी ले तो इतनी मारा-मारी व गिरफ्तारी नहीं करती जो इस केस में की गयी थी। पुलिस को यह सब राजनीतिक दबाव के तहत करना पड़ा था।

चुनावी वादे की कोई सज़ा नहीं, इसलिये राहुल गांधी भी उतरे मोदी के मुकाबले में

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब लालकिले की प्राचीर से छाती ठोक कर झूठ बोल सकते हैं तो राहुल का भी प्रेरित होना स्वाभाविक ही था। मोदी सरकार की तमाम झूठी घोषणाओं व जुमलेबाज़ियों का मुकाबला करने के लिये अब राहुल गांधी ने भी एक बड़ा चुनावी जुमला जनता के बीच फेंक दिया है। उन्होंने घोषित किया है कि उनकी सरकार बनने पर देश के 5 करोड़ अति ग़रीब परिवारों की न्यूनतम आय 12000 रुपये मासिक सुनिश्चत कर दी जायेगी। इससे 25 करोड़ आबादी को लाभ होगा। जाहिर है जब देश भर में बिना डॉक्टरों व अस्पतालों के मोदी जी 'आयुष्मान भारत' नामक एक मंत्र का जाप करके 50 करोड़ लोग़ों का इलाज कर सकते हैं, उज्जवला योजना के जुमले से तमाम ग़रीबों के घरों में गैस के चूल्हे जला सकते हैं, हर घर में बिजली का बल्ब जला सकते हैं, 15-15 लाख रुपये हर खाते में पहुंचा सकते हैं और न जाने कितने झूठे वायदे कर सकते हैं तो राहुल भला क्यों पीछे रहने वाले थे।

राहुल की घोषणा के मुताबिक यदि किसी की आय 6000 है तो सरकार उसके खाते में 6000 अपनी ओर से डाल कर उसकी आय को 12000 कर देगी। अपनी इस खाम-ख्याली को विश्वसनीय बनाने के लिये उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नाम का सहारा लिया है। राहुल के अनुसार इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इस योजना के सफ़ल होने की गारंटी दी है। इस योजना पर 3.6 लाख करोड़ सालाना खर्च का अनुमान लगाया गया है।

लेकिन राहुल ने यह नहीं बताया कि जिसकी आमदनी 6000 मासिक से कम यानी 4000 या मात्र एक हज़ार या बिल्कुल ज़ीरो होगी तो उनको 12000 मासिक के स्तर तक पहुंचाने पर कितना खर्च आयेगा? उन्होंने यह भी नहीं बताया कि जिन 5 करोड़ लोग़ों को वे इस योजना के लिये चुनेंगे उसका आधार क्या होगा? एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या देश भर में मात्र 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी आय 12000 मासिक से कम है? वैसे इससे पहले इनकी दादी इन्दिरा गांधी द्वारा 'ग़रीबी हटाओ' का नारा देकर ग़रीबी हटा ही दी गयी थी। इस हिसाब से तो अब ग़रीब बचे होने ही नहीं चाहिये। जो भी है, इस देश में इस तरह के वायदे करके भूल जाने वालों के लिये कोई सज़ा का प्रावधान तो है नहीं। पूरे पांच साल राज करने के बाद अगले चुनाव में फ़िर कोई नये वायदे कर दिये जायेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा की ही भांति कांग्रेस ने भी यह वायदा नहीं किया कि तमाम सरकारी महकमों के रिक्त स्थानों को भरा जायेगा। तमाम शिक्षण संस्थानों में शिक्षक व अन्य स्टाफ़ के पदों को भरा जायेगा। अस्पतालों व उनमें स्टाफ़ की कमी को दूर किया जायेगा। सरकारी खजाने से खैरात बांटने का वायदा करके एक बार को वोट लेकर सत्तारूढ तो हुआ जा सकता है, परंतु देश की असली समस्या तो तभी दूर हो सकती है जब सारी जनता को सही मायनों में शिक्षा व चिकित्सा जैसी मौलिक सुविधायें सस्ते में उपलब्ध कराई जायें।

राहुल को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि वे झूठ बोलने व मंदिर की राजनीति में संघियों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसलिये उन्हें उनके तौर-तरीके एवं हथकंडे अपनाने से परहेज करना चाहिये।

चुनाव आचार संहिता के बहाने हाईवे पर ग्रिल लगाने का काम ठप

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले करीब आठ साल से दिल्ली-आगरा हाईवे को चौड़ा (6 मार्गी) करने का काम रेंग रहा है। सरकार के संरक्षण में चल रही निर्माण कम्पनी की लापरवाही एवं हरामखोरी के चलते इस सड़क पर प्रति वर्ष सैंकड़ों लोग़ों की बलि चढ जाती है। निर्माण कार्य के बेहद लम्बा खिंचने से राहगीरों को जो परेशानियां होती हैं वे अलग से।

6 मार्गी सड़क पर वाहनों के तेज़ गति से चलने के कारण सड़क पार करने वाले लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये फुट ओवर ब्रिज (पैदल पार करने के पुल) बनाने के साथ-साथ सड़क पर ऐसी ग्रिल भी लगाई जायें जिससे लोग चलती सड़क को सीधे पार न करें। स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर इस सड़क पर पूरे हुए छोटे-छोटे कामों को लेकर बीसियों नारियल फ़ोड़ चुके हैं लेकिन ग्रिल लगाने व पुल बनाने का जो काम नारियल फ़ोड़ने से पहले होना चाहिए था, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी इस लापरवाही से जब आये दिन लोग सड़क दुर्घटना में मरने लगे तो ग्रिल लगाने का ध्यान आया। ग्रिल लगानी भी शुरू की तो एकदम बेकार। इतनी छोटी कि बच्चा भी कूद जाय, इतनी हल्की कि जवान ठोकर मार दे तो टूट जाय। इसी लिये जगह-जगह से टूटी भी पड़ी हैं।

जब ज़्यादा हल्ला मचा तो दोनों सड़कों के बीच में सही ढंग की 6 फुटी मजबूत ग्रिल लगाने का काम शुरू करना पड़ा। नेहरू कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर धरना दिया तो वहां पुल बना। चुनाव में अपनी भद्द पिटते देख कर अब सरकार ऐसे और भी पुल बनाने लगी है। लेकिन अचानक 6 फुटी ग्रिल का काम यह कह कर रोक दिया गया कि चुनाव आचार संहिता लग गयी है। यह केवल कोरा बहाना है चालू काम को रोकने का। काम रोकने के लिये तो आचार संहिता का बहाना ले लिया तो फ़िर करोड़ों रुपये का टोल टैक्स की वसूली पर भी तो यही संहिता लगनी चाहिये।

परन्तु सरकार ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि टोल टैक्स के बहाने लूट का यह लाइसेंस मोदी के परम मित्र अनिल अम्बानी को मिला हुआ है जिसका दिवाला निकला पड़ा है। वैसे लूट का यह ठेका तो उसे कांग्रेस सरकार ही दे गयी थी लेकिन उसका जम कर दुरुपयोग व मोदी के राज में ही कर रहा है।

जेएनयू छात्रों से मार-पीट का मामला

कोर्ट ने दोषियों को तो सज़ा कर दी, परन्तु एफ़आईआर दर्ज न करने वाली पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) 14 अगस्त 2017 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्याल के पांच छात्र व एक छात्रा, अरावली क्षेत्र में बनी झीलों पर घूमने के बाद जब वापस लौटने लगे तो रात के 9 बज गये थे। इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हुए अनंगपुर गांव के चार लड़कों ने उन्हें घेर लिया। इनकी कैब व बाइक रूकबा कर छात्रा को घसीट कर ले जाने का प्रयास किया। छात्रों द्वारा इसका विरोध करने पर चारों आरोपियों ने सभी को लाठी डंडों से खूब पीटा व छात्रा से जितनी छेड़खानी कर सकते थे, करी। इस मामले में स्थानीय अतिरिक्त सैशन जज कुलदीप सिंह ने चारों दोषियों को 3-3 साल की कैद व 6-6 हज़ार जुर्माने की सज़ा बीते सोमवार को सुना दी।

कहानी इतनी भर होती तो कोई बात नहीं थी। असल कहानी तो थाना सूरजकुंड पुलिस की है जिसके पास ये छात्र जैसे-तैसे कुछ स्थानीय लोग़ों की मदद से पहुंच पाये थे। बजाय इनकी एफ़आईआर दर्ज करके दोषियों को पकड़ने के पुलिस ने इन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए छात्रा के पहनावे पर बेहूदा टिप्पणियां की और उनके यहां आने पर तरह-तरह के सवाल खड़े कर दिये। उन सबको पूरी तरह ज़लील करने व डराने धमकाने के बाद उनसे ही एक काग़ज लिखवा लिया कि वे आईंदा फ़िर कभी इधर नहीं आयेंगे।

अब वे ठहरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, वे भला कहां रुकने वाले थे। वे अपने इलाके के थाना बसंत कुंज पहुंच गये और अपनी ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस ने भी यह एफ़आईआर इसलिये दर्ज कर ली थी क्योंकि वे समझते थे कि दर्ज न करना कितना महंगा पड़ता है। पुलिस रूल के मुताबिक एफ़आईआर दर्ज न करने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।

ज़ीरो एफ़आईआर आने पर कार्यवाही करना सूरजकुंड पुलिस की मजबूरी हो गयी। कार्यवाही के परिणामस्वरूप सभी दोषियों को अदालत ने सज़ा भी दे दी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तत्कालीन सीपी हनीफ़ कुरैशी पर खड़ा होता है कि सारी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सम्बन्धित एवं दोषियों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? कोई कार्यवाही तो दूर किसी पुलिस अधिकारी से पूछा तक नहीं गया।

उच्चाधिकारियों के ऐसे ही ढुल-मुल रवैये के चलते महकमे में हरामखोरी व रिश्वतखोरी को बढावा मिलता है। वे तब तक कोई काम करना ही नहीं चाहते जब तक कोई उनको रिश्वत न दे या ऊपर से कोई प्रताड़ित न करे।

बड़खल पुल के नीचे सट्टे व शराब का एक अड्डा हुआ बंद, अनेकों अड्डे अभी भी चालू

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में **'बड़खल पुल के नीचे बड़ा सट्टा व शराब का धंधा'** शीर्षक से खबर प्रकाशित की गयी थी जिसमें बताया गया था कि पुलिस संरक्षण में रामा पंजाबी व मेहर चंद नामक दो व्यक्ति सट्टे व शराब का काला धंधा करते हैं। पुलिस को मिलने वाली मंथली का ब्योरा भी दिया गया था। खबर से आहत हो कर मेवला महाराजपुर निवासी मेहरचंद चपराना ने **'मज़दूर मोर्चा'** सम्पादक को फ़ोन कर मिलने का समय मांगा और मिल कर बताया कि उनका इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। हां उनका दफ़्तर जरूर उस पुल के निकट है जहां उनका स्क्रैप का धंधा है। अब तो इस करोबार को भी उनका बेटा सम्भालता है। वे तो कभी कभार वहां आकर बैठते हैं।

अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कबीर का दोहा, ''कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करन गे सो भरन गे तू क्यों भया उदास।'' सुनाते हुए कहा कि उनका ठय्या वहां होने की वजह से ही किसी ने उनके बारे में 'मज़दूर मोर्चा' को ग़लत सूचना दे दी। पूछने पर उनहोंने बताया कि अब वहां सट्टे व शराब का कोई धंधा नहीं चल रहा है। इस बात को वे गोल कर गये कि धंधा कब से बंद हुआ। लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि इस तरह के काले धंधे शहर भर में पचासों जगह चल रहे हैं। संत नगर फ्रेंड्स कॉलोनी, ओल्ड फ़रीदाबाद, बसेलवा, बल्लबगढ आदि-आदि।

मेहर चंद ने बताया कि वे एक इज्जतदार व्यक्ति हैं और सेक्टर 45 रेज़िडेंट वैलफ़ेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं। इसके अलावा वे मेवला महाराजपुर के बिसवेदार भी हैं। काले धंधे के साथ उनका नाम जुड़ने से उनकी बड़ी बदनामी हुई है। उनकी सफ़ाई को सच मानते हुए, उनका ग़लत नाम छापने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' खेद प्रकट करता है। यहां गौरतलब बात यह है कि एक साधारण नागरिक को तो अपना नाम छपने से परेशानी हो गयी लेकिन उक्त काले धंधे चलवा कर मंथली उगाहने वाले पुलिस अधिकारियों को कतई कोई शर्म नहीं और न ही 'भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा' का ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को।